आप को बड़ा झटका,महापौर प्रत्याशी रानी विश्वकर्मा ने बिना बताए वापस लिया नाम

भोपाल (काप्र)।

प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी को भोपाल में बड़ा झटका लगा है। यहां से मेयर कैंडिडेट रानी विश्वकर्मा ने गुपचुप तरीके से अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और आप नेताओं को इसकी भनक तक नहीं लगी।

जैसे ही उन्हें नॉमिनेशन वापस लिए जाने की बात पता चली तो वे कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और रानी ने किन आधार पर नॉमिनेशन वापस लिया, यह जानकारी लेने लगे। दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी ने मध्यप्रदेश के सभी नगर निगम में मेयर कैंडिडेट उतारे हैं। भोपाल से रानी विश्वकर्मा को अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया था। रानी ने पति राधेश्याम विश्वकर्मा के साथ 18 जून को नॉमिनेशन जमा किया था और प्रचार में जुट गई थीं। इसी बीच 20 जून की शाम को उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। यह जानकारी मंगलवार दोपहर मेंआप नेताओं को लगी। जिलाध्यक्ष रीना सक्सेना कलेक्टर ऑफिस पहुंची। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे से नाम वापसी के संबंध में जानकारी ली। रानी विश्वकर्मा के नाम वापस लिए जाने से आप नेता टेंशन में है। जिलाध्यक्ष सक्सेना ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करेंगे। रानी पर दवाब बनाया गया है। मामले में जब रानी विश्वकर्मा के पति राधेश्याम विश्वकर्मा से मोबाइल पर चर्चा की। जैसे ही उनसे पूछा कि क्या आपकी पत्नी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। यह सुनते ही विश्वकर्मा ने कॉल कट कर दी। दूसरी बार कॉल की तो उन्होंने कहा कि अभी बिजी हूं। विश्वकर्मा से बात नहीं होने से पता नहीं चल सका कि आखिर रानी ने नामांकन वापस क्यों लिया।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा, जानकारी लगी है। जिला पदाधिकारियों को कलेक्टर ऑफिस भेजा है। उनसे चर्चा के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। स्थिति स्पष्ट होने के बाद रानी और उनके पति पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली और पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी पहली बार मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रही है। प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों से मेयर कैंडिडेट भी उतारे गए, लेकिन भोपाल से मेयर कैंडिडेट के नामांकन वापस लिए जाने का यह पहला मामला है। इससे पूरी पार्टी में हलचलें हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली तक मामला पहुंच चुका है।

अब रईसा मलिक बचीं विकल्प

रानी के नॉमिनेशन वापस लेने के बाद अब पार्टी के पास रईसा मलिक ही विकल्प बची है। रईसा मलिक कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आई है। उन्होंने भी मेयर कैंडिडेट का नॉमिनेशन जमा किया है। ऐसे में अब पार्टी उन्हें ही अपना कैंडिडेट घोषित कर सकती है।

बाग मुगालिया परियोजना में बुनियादी सुविधा संबंधी शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करें:चौधरी

बाग मुगालिया आवासीय परियोजना स्थल का निरीक्षण कर दिए निर्देश

भोपाल (काप्र)।

नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाग मुगालिया परियोजना के तहत आवास निर्माण स्थल व भूखण्डों का निरीक्षण किया और आवासीय क्षेत्र में अंडर ग्रांउड टैंक, सड़क का सीमेंट क्रांकीटीकरण, सीवेज, सेप्टिक टैंक, जलप्रदाय, बिजली, नाला-नाली आदि बुनियादी शेष कार्यों को बेहतर ढंग से शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

श्री चौधरी ने एल.आई.जी, एम.आई.जी आवासों की बुकिंग हेतु कर्मचारियों को स्थल पर तैनात करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त सुश्री ऋत्तु बाफ्ना, मुख्य अभियंता श्री ए.आर.पवार सहित निगम के अन्य अधिकारी मौजूद थे। निगम आयुक्त ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाग मुगालिया आवासीय परियोजना के आवास निर्माण स्थल एवं भूखण्डों का निरीक्षण किया और आवासों, भूखण्डों एवं अधोसंरचना संबंधी कार्यों की जानकारी प्राप्त की। श्री चौधरी ने आवासीय परियोजना क्षेत्र में अंडरग्राउंड टैंक शीघ्र बनाने, सड़क का सीमेंट क्रांकीटीकरण शीघ्रता से पूर्ण करने और आवासों की बुकिंग हेतु कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए।श्री चौधरी को अवगत कराया गया कि 06 ब्लॉकों में 432 आवास का निर्माण किया जा रहा है। 72 आवास प्रति ब्लॉक वाले 04 ब्लॉक एमआईजी आवासों के एवं 02 ब्लॉक एलआईजी आवासों के निर्मित किए जा रहे है।

मन की शांति और तन की सक्रियता ही योग का मूल मंत्र

भोपाल (काप्र)।

विश्व योग दिवस के अवसर पर आज कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन बोट क्लब ,पुराना मछली घर के पास ,योग संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केंद्रीय संचार ब्यूरो ,प्रादेशिक कार्यालय , पीआईबी,भोपाल द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में योग को जीवन में किस तरह शामिल करें इस ध्यान दिया गया।

इस अवसर पर उप महानिदेशक आकाशवाणी भोपाल श्री यशवंत चिवंडे ने कहा कि योग को जीवन शैली का अंग बनाया जाना चाहिए । योग से मस्तिष्क को सक्रिय कर जीवन को गतिशील बनाया जा सकता है । उन्होंने कहा कि योग जीवन को क्रियाशील बनाए रखने का एक बेहतरीन साधन है । कार्यक्रम में राज्य योग प्रशिक्षण केंद्र के योग प्रशिक्षक श्री देवी दयाल भारती ने योग प्रशिक्षुओं को योगाभ्यास कराया और साथ में विभिन्न आसनों और प्राणायाम के महत्व को भी बताया । इस अवसर पर श्री भारती ने कहा योग का अर्थ ही है जुड़ना । हम जीवन में योग को इस तरह से शामिल कर लें कि हम अपना पूरा जीवन ही योगमय बना लें। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने मोबाइल को समय-समय पर चार्ज करते हैं ,उसी तरह से हम अपने जीवन और शरीर को भी योग के माध्यम से चार्ज कर लेना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 25- 30 मिनट का समय योग के लिए अवश्य निकालना चाहिए।

कार्यक्रम के पूर्व केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल के सहायक निदेशक श्री शारिक नूर ने स्वागत उद्बोधन देते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर किए जा रहे योग कार्यक्रमों के बारे में बताया। साथ ही योग संबंधी काउंट डाउन कार्यक्रम से लेकर अब तक सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से की गई प्रचार गतिविधियों के विषय में भी बताया । कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर अतिथियों को पौधा भेंटकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में श्री भारती के अलावा सुश्री शर्मिला जैन योग विशेषज्ञ ने भी प्रशिक्षुओं को आसान उपायों के माध्यम से योग के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी श्री अजय उपाध्याय ने किया और कार्यक्रम का आभार श्री समीर वर्मा, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ने किया।

आईएसआई के लिए करते हैं जासूसी बोल कर घिरे दिग्विजय

भोपाल (काप्र)। जिला सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध एक वकील की याचिका पर मानहानि का मामला दर्ज करते हुए उन्हें 23 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। दरअसल एक वकील अवधेश ने 3 सितंबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन पेश किया था। अवधेश ने सांसद दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि आईएसआई के लिए जासूसी का काम गैर मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं। वकील ने न्यायालय के सामने एक सीडी भी पेश की थी। उन्होंने अपने तीन साथियों के साथ शपथ पत्र पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन लगाया था।

FORM NO
[See Regulation 33(2)]

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR
797/2, Shanti Kunj, South Civil Lines, Jabalpur- 482001

NOTICE FOR SETTLING A SALE PROCLAMATION UNDER RULE 53 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT,1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993.

RC/484/2018 **BANK OF BARODA VERSUS M/S SAI ENTERPRISES** 30.05.2022

To,**(CD1) MR. DILIP PRAJAPATI** S/0 Shri Laxma Lal Prajapati House No.51, Ganesh Nagar, Nayapura, Kolar Road, Bhopal (m.p.)-462042 **(CD2) SMT. KEM KUMARI PRAJAPATI** W/o Mr. Narendra Prajapati House No.- 63, Subham House Nanakheda, Opp. Chl Apollo Hospital, Ujjain (m.p.)- 456001 **(CD3) SMT. VARSHA PRAJAPATI** W/o Shri Suresh Prajapati House No.- 41-42, Trilanga Commercial Bharat Nagar, Bhopal (m.p.)- 462001**(CD4) SHRI SURESH PRAJAPATI** S/o Shri Laxman Prajapati House No.- 41-42, Trilanga Commercial Bharat Nagar, Bhopal (m.p.)- 462001**(CD5) SMT. SHOBHA CHANDAK** D/0 Shri Madan Gopal Chandak House No.- 266-e-2, Arera Colony, Bhopal (m.p.)-462001.

Whereas you the was ordered by the Presiding Officer of DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR who had issued the Recovery Certificate dated 31/08/2018 in OA/517/2017 to pay to the Applicant Bank(s)/Financial Institution(s) Name of applicant, the sum of Rs 39202260.00 (Rupees Three Crore Ninety Two Lakhs Two Thousand Two Hundred Sixty Only) along with pendentellite and future interest @ 12.00 % Simple Interest Yearly w.e.f. 19/06/2017 till realization and costs of Rs 150000 (Rupees One Lakh Fifty Thousands Only), and whereas the said has not been paid, the undersigned has ordered the sale of undermentioned immovable / Immoveable property.

2. You are hereby informed that the 25/07/2022 at 10.30 A.M. has been fixed for drawing up the proclamation of sale and settling the terms thereof. You are requested to bring to the notice of the undersigned any encumbrances, charges, claims or liabilities attached to the said properties or any portion thereof.

Specification Of Property

(1) Diverted Freehold Land at Khasra No. 93/5/2, P.H. No. 29, R.N. Mandal- 4, Inside Kolar Road, Block- Fanda, Village- Bairagarh, Chichali, Tehsil- Huzur, District- Bhopal (MP); property area admeasuring 10000 Sq. Ft.; Property belonging to Smt. Shobha Chandak D/o Shri Madan Gopal Chandak. /// (2) Diverted Freehold Land at Plot No. 3, Part of Khasra No. 27/2 (old) — Khasra no. 95 (new), P.H. No. 38, R.N. Mandal- 3, Ward No. 84, Inside Kolar Road to Suhagpur, Block- Fanda, Village- Hinotiya Alam, Tehsil- Huzur, District- Bhopal (MP); property area admeasuring 5000 Sq. Ft.; Property belonging to Smt. Varsha Prajapati W/o Shri Suresh Prajapati.

Given under my HAND and the SEAL of Tribunal, on this date 30/05/2022

Seal

(SATISH SOLANKI)
Recovery officer

माखनलाल के छात्र ने सीआइएसएफ कैंपस के छात्रावास मे फांसी लगाकर दी जान

भोपाल(काप्र)।

राजधानी के गोविंदपुरा थाना इलाके में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के छात्रावास में रहने वाले माखनलाल मे पढ रहे 21 साल के छात्र द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी किये जाने की घटना प्रकाश मे आई है।

थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुष्पराज पाठक पिता राजीव रंजन पाठक सीआइएसएफ कैंपस के बालक छात्रावास के कमरा नंबर 9 मे रहकर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता विशाखापट्टनम में पदस्थ हैं। पुष्पराज के पास वाले कमरों में अनिकेत और सौरभ रहते हैं। पुष्पराज के पिता ने बीते दिन पुष्पराज से फोन पर बातचीत की थी। बाद मे जब देर शाम को उन्होने दोबारा फोन किया तो उसका मोबाइल लगातार बंद आने लगा। परेशान पिता ने पास के कमरे मे रहने वाले सौरभ को फोन लगाकर उसे देखने को कहा। सौरभ और अनिकेत जब पुष्पराज के कमरे पर पहुंचे तो उन्हे अंदर से बंद मिला। काफी आवाजे देने पर भी जब अदंर से कोई जवाब नही आया, तब उन्होने उन्होने खिड़की से झांककर देखा तो तो उन्हे पुष्पराज का शरीर बेडशीट से सीलिंग फैन पर बने फंदे से झूलता नजर आया। सूचना पाकर पहुचीं पुलिस को घटनास्थल से छानबीन के दौरान कोई सुसाइड नोट या अन्य ऐसा सुराग नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या के कारणो का खुलासा हो सके। पुलिस ने बताया कि परिजनों के आने पर शव को पीएम के बाद उनके हवाले किया जायेगा। जॉच कर रही टीम का कहना है किमृतक के परिवार वालो ओर उसके दोस्तो के ब्यान दर्ज करेगी। वही पुलिस मृतक के मोबाईल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। अधिकारियो का कहना है कि जॉच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के कारणो का खुलासा हो सकेगा।

पोल-डे कम्युनिकेशन के माध्यम से हर दो घण्टे में दें मतदान की जानकारी

भोपाल (काप्र)। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन-2022 के आईईएमएस के अतंर्गत पोल-डे कम्युनिकेशन के माध्यम से हर दो घण्टे में मतदान की जानकारी दें। इसमें पुरूष, महिला एवं अन्य मतों की जानकारी दी जाये। श्री सिंह ने कहा है कि मतदान दलों के रवाना होने, मतदान केन्द्रों में मतदान दलों के पहुँचने, मॉकपोल (नगरीय निकायों में), मतदान प्रारम्भ, मतदान की समप्ति और मतदान सामग्री जमा होने की जानकारी भी समय पर दें।

आठवीं पास ड्रायवर,नौवीं पास किसान शातिर तरीके से कर रहे थे गांजा तस्करी

कार मे लगी गैस की टंकी को बनाया था गांजा रखने का कंटेनर

भोपाल (काप्र)।

राजधानी की क्राइम ब्रांच टीम ने गांजा की तस्करी करने दो ऐसे शातिरो को दबोचा है, जो कार से नशीले पर्दाथ की तस्करी करते थे, पुलिस को चकमा देने के लिये तत्करो ने कार मे गैस की टंकी तो लगा रखी थी, लेकिन गैस का कनेक्शन कट कर उस टंकी को गाजा छिपाने के लिये कंटेनर के रुप में उपयोग करते थे।

आरोपियों ने तस्करी के लिए कार में लगी गैस किट की टंकी को कटवाकर उसे विशेष रूप से तैयार कराया था। जिसमें गैस की जगह गांजा भरकर तस्करी की जाती थी। आरोपी उड़ीसा जगदलपुर से गांजा लाकर भोपाल मे खपाते थे। टीम ने दोनो आरोपियों से दो लाख कीमत का 23 किलो गाँजा बरामद किया है। अफसरो ने बातया कि क्राइम ब्रांच टीम ने मुखबिर से मिली सूचना पर बीते दिन सागर पब्लिक स्कूल के पास अल्टो कार नबर एमपी 41 सीए 8857 में बैठे दो सदिंग्ध युवको को हिरासत मे लेकर पुछताछ की। आरोपियो मे वाहन चालक की पहचान नरेन्द्र सिसोदिया पिता भगवान दास (32), निवासी ग्राम बोरानी पोस्ट सुमरेल कन्नौद के पास देवास जो नौवी तक पढा है, ओर ड्रायवरी करता है, वही उसके साथी की मानसिंह मेवाड़ा पिता राधाकिशन मेवाड़ा (42) निवासी ग्राम झाड़ला पोस्ट आफिस भीलखेड़ी थाना सुजालपुर मंडी जिला शाजापुर जो आंठवी तक पढा है, ओर खेती किसानी करता है, के रुप मे हुई। उनके पास मौजूद कार की तलाशी लेने पर कार में लगी गैस की टंकी में गांजा भरा मिला। सख्ती से की गई पुछताछ मे कार चालक नरेन्द्र सिसोदिया ने बताया कि वो कार की गैस टंकी को कंटेनर के रुप में उपयोग कर उसमें कम्प्रेस्ड तरीके से गाँजे को भरते थे, ओर टंकी को केवल पुलिस को धोखा देने के लिये फिट किया गया था। इसके सा थी टीमने उसके साथी मानसिंह मेवाड़ा के पास से 2 किलो गाँजा जो उसकी कार की सीट के नीचे रखा था बरामद किया है। दोनों तस्करो से पुलिस ने दो लाख कीमत का 23 किलो से अधिक गाँजा सहित तस्करी मे इस्तेमाल की जा रही चार लाख कीमत की कार को जप्त कर लिया। तस्करो ने बताया कि वो गाँजे को उड़ीसा जगदलपुर से भोपाल लाकर खपाते थे। आरोपियों के खिलाफ थाना क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट का मामला कायम कर उन्हे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तस्करो से आगे की पुछताछ मे उनका लोकल नेटवर्क खंगाल रही है।

मानसून सत्र की अवधि बढ़ाई जाएः डॉ. गोविंद

भोपाल(काप्र)।

मप्र विधानसभा के मानसून सत्र के लिए 25 से 29 जुलाई तक की अधिसूचना जारी की गई है। मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि विधानसभा का मानसून सत्र कम से कम तीन सप्ताह का रखा जाये, ताकि मानसून सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

उन्होंने विधानसभा का मानसून सत्र महज पांच दिन रखे जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि शिवराजसिंह चौहान ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए विपक्ष और जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। डॉ. सिंह ने स्मरण कराते हुए कहा कि पूर्व में भी शिवराजसिंह चौहान को एक पत्र भेजकर मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2022 की तिथि पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद निर्धारित किये जाने एवं सत्र की बैठक कम से कम 20 दिवस रखे जाने की मांग की गई थी। जिससे प्रदेश की जन-समस्यायें एवं ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा सदन में हो सकें। उन्होंने शिवराजसिंह चौहान को लिखे पत्र में लिखा था कि विधानसभा प्रजातंत्र का पवित्र मंदिर है एवं राज्य की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें राज्य की जनता के हितों के ज्वलंत मुद्दे व सरकार की नाकामियों को उजागर करने, प्रदेश में जनहितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन करने व भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रदेश में जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सदन की बैठकों में निरन्तर कमी होती जा रही है, जबकि संविधान में निहित भावनाओं के अनुरूप संविधान विशेषज्ञों ने समय पर वर्ष में कम से कम 60 से 75 बैठकें प्रतिवर्ष आहूत करने की सिफारिशें की गई है।

ऐ-12034/1/2019-ई-2-डीओसी
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग

वाणिज्य विभाग संविदा के आधार पर नीचे उल्लिखित पदों के लिए प्रतिभाशाली,अभिनव और गतिशील पेशेवरों को नियुक्त करना चाहता है।

पद	विषय					
	इकनॉमिक्स	कानून	पब्लिक पॉलिसी	डाटा साइंस	जनरल मैनेजमेंट	कुल
यंग प्रोफेशनल	8	1	4	4	5	22
एसोसिएट	6	2	3	3	5	19
कंसलटेंट	7	1	2	2	3	15
वरिष्ठ कंसलटेंट	4	1	1	1	2	9
कुल	25	5	10	10	15	65

इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए https://commerce.gov.in/vacancies/ लिंक पर देख सकते हैं।
ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिन है।
डीएवीपी 05/01/11/0002/2223

न्यायालय तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त, जिला भोपाल (म.प्र.)
(पुराना जिला पंचायत भवन, जिला भोपाल)
क्र. 0334/अ-6/22-23/ नजूल/ बैरा.वृत्त/ 2022 **भोपाल, दि. 21.6.22**

सूचना पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक वीरेन्द्र सिंह/ कृष्ण पाल सिंह निवासी-शहर भोपाल ने नामान्तरण करने विषयक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बड़वई तहसील हुजूर भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 424/2/1, 424/2/2/3, 424/3/2, 424/3/1/1, 424/2/1/2, 424 /2/ 1/3, रकबा 2.275 वर्ग भूमि का नामान्तरण करने का निवेदन किया है जिसका प्रकरण इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। आवेदित भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में श्रीमती ज्योति जैन के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। अतः उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विधिक कार्यवाही किये जाने पर यदि किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन से 07 दिवस के भीतर स्वयं अथवा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है, तत्पश्चात प्राप्त आपत्ति ग्राह्या योग्य नहीं होगी। यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29.6.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

146743 सील **तहसीलदार नजूल संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) वृत्त भोपाल**

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल
प्रकरण क्रमांक 875/अ-6/2022-23
मौजा-नीलबड़ तहसील हुजूर, भोपाल

उद्घोषणा पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती थेयोदोरा खलको पत्नी श्री स्टीफन खलखो निवासी मकान नं. 08 न्यू पियूष कॉलोनी, अमलीडीह, रायुपर छत्तीसगढ़ द्वारा म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज पंजीयन क्रमांक 387 दिनांक 12.05.1998 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 123/1/2 कुल रकबा 4 एकड़ में से 0.0334 एकड़ अर्थात 1500 वर्गफिट, स्थित ग्राम नीलबड़ प.ह.न. 51, तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 29.06.2022 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 17.06.2022 को जारी किया गया।

146744 सील **तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल**

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील कोलार भोपाल
प्रकरण क्रमांक 826/अ-6/ 2022-2023

उद्घोषणा पत्र

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आशीष मेघवानी पिता श्री बी.आर. मेघवानी एवं पूनम राजपूत पति आशीष मेघवानी निवासी सिंधी गुरुद्वारा के पीछे संत कवर राम बार्ड सागर पिन 470002 म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय क्र. एमपी059702020ए1893661 दिनांक 29.12.2020 ग्राम सलैया प.ह.नं. वार्ड 83 स्थित भूमि खसरा नंबर 150/1, 177/1, 176 पर निर्मित शिव आंगन ब्लाक बी-05 (फ्लेट क्रमांक 209) भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदन पत्र के नाम पर किए जाने को अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 02.07.2022 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक को 16.06.2022 जारी किया गया।

146745 सील **नायब तहसीलदार तहसील कोलार भोपाल**

कार्यालय सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल

आम सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कालोनी नेहरू नगर भोपाल (म.प्र.) में स्थित भवन क्रमांक जूनियर एम.आई.जी./ई.एम. 40 मण्डल द्वारा श्रीमती वेदवती शुक्ला पत्नी स्व. श्री शिवकुमार शुक्ला के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 29.11.1995 को किया गया है। श्रीमती वेदवती शुक्ला का स्वर्गवास दिनांक 25.12.2016 को हो गया है। आवंटी की पत्नी (1) श्रीमती नीरू बाजपेयी पत्नी श्री आलोक बाजपेयी (2) श्रीमती रेनू दुबे पत्नी श्री अनिल कुमार दुबे ने मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मण्डल का निर्धारित आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कतर उक्त सम्पत्ति अपने नामों से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

146746 **सम्पदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. विकास मंडल प्रक्षेत्र, भोपाल**